

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.17(9)नविवि/नियम/2019

जयपुर, दिनांक: 22/11/20

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 (2), राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के नियम 17 तथा एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम 7.1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को राज्य के नगरीय क्षेत्रों में लोक उपयोगी सुविधाओं यथा चिकित्सा सुविधायें, शैक्षणिक सुविधायें, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, निःशक्तजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को प्रोत्साहित किये जाने की दिशा में इन संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

Secy. ✓
Act Director.
24/11/19
Acc ACS.
Acc DLS

राज्यपाल की आज्ञा से

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।

A11 DLS
A11 A/S
A11 DLS

24/11/19

20/11/19 1083
23/11/19

25/11/19

25/11/19

9. संयुक्त शासन सचिव— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. वरिष्ठ विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
12. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
13. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना की प्रति समस्त नगरनिगमों/नगरपरिषदों/नगरपालिका मण्डलों को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
16. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन अविलम्ब राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में करावे तथा इसकी प्रतियां इस विभाग को प्रेषित करावे।
17. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को उपरोक्तानुसार राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
18. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रति प्रेषित करने लेख है कि उक्त अधिसूचना नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।
19. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव—तृतीय